संख्या–345/9–9–2011–160ज/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 14 मई, 2012

विषय–वर्ष 2012–13 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–617/9–9–2012– 160ज/11 दिनांक 05.04.2012 एवं संख्या 618/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 05.04.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से **प्रकरण में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–मं0 . 1/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 29.03.2012, संख्या–580/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 30.03.2012, संख्या–एम03/9–9–2012–160ज/11 दिनांक 30.03.2012 एवं संख्या–592/9–9–2012–160ज/11 दिनांक 02.04.2012, को अवकमित करते हुए विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित ठेकों को स्थगित किये जाने एवं वर्ष 2012–13 हेतु नये सिरे से ठेके उठाने की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।**

2. उक्त के सम्बन्ध में निकायों द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयी हैं। अतः उपर्युक्त निर्गत शासनादेशों में पारित निर्देशों के क्रम में मुझे स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि **नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में समस्त प्रकरणों का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाये। यदि आवश्यक हो तो निकाय स्तर पर प्रकरण में विधिक राय भी प्राप्त की जाय। किसी ठेकेदार द्वारा यदि अनुबन्ध के अनुकूल कार्य नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।**

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
14/5/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

14/5/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

hggo-1